



Office of the District Basic Education Officer
ETAH

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **MAREHRA PUBLIC SCHOOL, STATION ROAD MAREHRA DISTRICT**
ETAH PIN CODE 207401 is provisionally recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition
number allotted to MAREHRA PUBLIC SCHOOL is **ETA09176375043**.The applicable terms and conditions of
the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE

Valid From:12-08-2026To:12-08-2027(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type

New

4.School Type

Upper Primary School(6 to 8)

5.Recognition No.

ETA09176375043

6. Medium

English

DATE:- 12-08-2026

PLACE:- ETAH

District Basic Education Officer

Digitally signed by Anupam Awasthi
Date: 2026-08-12 17:08:42
Reason: For Digital Signature
Location: ETAH



कार्यालय, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

जिला संकुल भवन, सकीट रोड, एटा (उ०प्र०)-207001

E-Mail- etahbsa@gmail.com

समग्र शिक्षा
Samaapra Shiksha



बिपुल भारत

पत्रांक/बेसिक/1159-60 /2026-27 दिनांक 20/5/26

प्रबन्धक

मारहरा पब्लिक स्कूल

नगर क्षेत्र मारहरा।

आप द्वारा अपने पत्र द्वारा विद्यालय की मान्यता का स्थायी करने हेतु प्रार्थना पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार मारहरा पब्लिक स्कूल नगर क्षेत्र मारहरा को कार्यालय के पत्रांक/721-55/2004-05 दिनांक 08.06.2004 के द्वारा प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता पाँच वर्ष की अवधि हेतु प्रदान की गयी थी।

कार्यालय पत्र दिनांक 08.06.2004 द्वारा प्रदान की गयी उक्त मान्यता सम्बन्धित शासनादेश संख्या 418/79-6-2013-18एस(7)/89 दिनांक 08 मई 2013 एवं 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 में उल्लिखित मानक एवं शर्तों के अधीन प्रदान की गयी है। संबंधित शासनादेश में बिन्दु संख्या-15 में उल्लिखित नियम के आधार पर सम्बन्धित विद्यालय के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होने के कारण एवं मान्यता के संबंध में नवीन शासनादेश संख्या 196/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांक 11 जनवरी 2019 किये गये संशोधन आदेश में दी गयी व्यवस्था एवं शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ०प्र० लखनऊ के पत्र सं० शि०नि०(बे०)/मान्यता/38274-371/2025-26 दिनांक 10.10.2025 के अनुसार मान्यता की शर्त पूर्ण करने के आधार पर विद्यालय को दी गयी मान्यता स्थायी श्रेणी में मानी जायेगी। विद्यालय को भविष्य में भी स्थायी मान्यता की शर्तों के मानक को बनाये रखना होगा अन्यथा विद्यालय की मान्यता के प्रत्याहरण की कार्यवाही की जायेगी।

(दिनेश कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा

प०सं०/बेसिक/ /2026-27

दिनांक वही

प्रतिलिपि - निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र मारहरा।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

एटा

देवक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा

सेवामें,

प्रबन्धक
मास्टर प्रोब्लेम स्कूल, मास्टर
एटा के मास्टर
जनपद एटा ।

पत्रांक अ. मा. / 721-55 / 2004-05 दिनांक 8-6-2004
विषय:- प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता प्रदान करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में आपको मान्यता समिति की बैठक
- 8-6-04 - एवं प्रस्तान संख्या - 8 - - में लिए गये निर्णय के
अनुसार आपको प्राइमरी स्तर की नवीन अस्थाई मान्यता सत्र 2004-05 01 जुलाई
2004 से निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रदान की जाती है ।

- 1- पाँच वर्ष की अवधि के अन्तर्गत सभी निर्धारित शर्तों को पूर्ण करके अस्थाई मान्यता हेतु आवेदन करना अनिवार्य होगा ।
- 2- विद्यालय को प्रदान की गई मान्यता पाँच वर्ष के लिए है ।
- 3- विद्यालय में अधिष्ट कक्षाओं का संचालन कदापि न किया जाये ।
- 4- विद्यालय में राष्ट्रदीयकृत पाठ्य पुस्तकें ही पढ़ाई जाये ।
- 5- प्रशिक्षित अध्यापकों को ही व्यवस्था की जाये ।
- 6- यदि आप द्वारा प्रस्तुत पत्रावली/आवेदन में किसी तथ्य को छिपाया गया या गलत पाया जाता है तो प्रदान की गई मान्यता का प्रत्याहरण कर लिया जायेगा ।

अवधीक

W. S. Yadav

एस. एस. यादव
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा

पु0सं0/अ. मा. /

/2004-05 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवामें सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही

हेतु प्रेषित :-

- 1- जिला सभाय कल्याण अधिकारी, एटा ।
- 2- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय ।
- 3- सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूल - - - - -
- 4- नगर शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र - "मास्टर" - - -

एस. एस. यादव
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
एटा